IJAREEIE

e-ISSN: 2278-8875
p-ISSN: 2320-3765

International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering

Volume 12, Issue 10, October 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.317

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 12, Issue 10, October 2023||

|DOI:10.15662/IJAREEIE.2022.1210010 |

ग्रामीण बैंको का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावो का अध्ययन (जयपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

DR. RAMESH CHAND MEENA

Assistant Professor, Department of EAFM, BBD Govt. College, Chimanpura, Shahpura, Jaipur, Rajasthan, India

सार

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ. संख्या 7/9/2011-आरआरबी राजस्थान, दिनांक 01 अप्रैल 2014 के अनुसार। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग (बैंकिंग प्रभाग) आरआरबी अधिनियम 1976 की धारा 23 ए के तहत, पूर्ववर्ती मरुधरा ग्रामीण बैंक और मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक को एक इकाई में मिला दिया गया और एक नया बैंक अर्थात् राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया गया । भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपना मुख्य कार्यालय जोधपुर में 01-04-2014 से स्थापित किया गया था। बैंक के संचालन का क्षेत्र दो पूर्ववर्ती घटक बैंकों के संचालन का संयुक्त क्षेत्र है। राज्य के जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जयपुर, नागौर, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले।

कृषि के बाद पशुपालन इस क्षेत्र की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ हैं। कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। वर्षा प्रति वर्ष लगभग 12 सेमी से लेकर 63 सेमी तक होती है। सिंचाई का मुख्य स्रोत कुछ नहरों के किनारे खोदे गए/नलकूप हैं। तीन नहर परियोजनाएँ - गंग नहर, भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को सिंचाई प्रदान करती हैं। जवाई नहर से पाली एवं जालौर जिलों के कुछ भागों की सिंचाई होती है।

क्षेत्र की मिट्टी रेतीली से जलोढ़ है और क्षेत्र की मुख्य फसलें बाजरा, मक्का, ज्वार, तिलहन, गेहूं और दालें हैं। हालाँकि, नई तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ कुछ किसानों ने जीरा, इसबगोल, टमाटर, आलू आदि जैसी नकदी फसलों के प्रति रुझान दिखाया है। कुछ प्रगतिशील किसानों ने जड़ी-बूटियों और औषधीय फसलों की भी खेती की है। संचालन के कुछ क्षेत्रों में बागवानी और फलों के बागानों को भी तेजी से चुना जा रहा है।

परिचय

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जयपुर जिला शाखाएँ, समय के साथ बढ़ी हैं। प्रत्येक बैंक को विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसे स्पर्धात्मक वित्तीय बाजार के साथ-साथ जयपुर जिले में अपने सभी ग्राहकों को अच्छी सेवा सुनिश्चित करनी होती है। जितनी अधिक शाखाएँ, उतनी ही अधिक मुश्किल इन शाखाओं के विवरणों पर नज़र रखना होता है। ये सभी विवरण, बैंक हिंदी में सूचीबद्ध हैं। जयपुर जिले में शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के कारण लोगों को केंद्रीय स्थान का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। शाखा बैंकिंग अपने केंद्रीय कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी बैंकिंग लेनदेन करने में समर्थ है। इन बैंकिंग लेनदेन में ऋण के लिए आवेदन करना, चेक की निकासी के बारे में पूछताछ करना, नई सेवाओं के बारे में पूछना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए कोड जाँचना, खाते के लिए मोबाइल और नेट बैंकिंग को सक्रिय करना आदि सेवाएँ, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखाएँ प्रदान करती हैं।

जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर बनाम डीसीआईटी, जयपुर[1,2,3]

1. सबसे पहले, हम आईटीए संख्या 1040/जेपी/2016 में निर्धारिती की अपील पर विचार करते हैं। निर्धारिती ने अपील के निम्नलिखित आधार लिए हैं:-

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 12, Issue 10, October 2023||

|DOI:10.15662/IJAREEIE.2022.1210010 |

"1. विद्वान सीआईटी अपील-1, जयपुर ने मूल्यांकन कार्यवाही पूरी होने से पहले निर्धारिती बैंक द्वारा दायर संशोधित रिटर्न की अनुमति नहीं दी और स्वीकार नहीं किया।

2. विद्वान सीआईटी अपील -1, जयपुर ने रुपये के दावे की अनुमति नहीं दी। संशोधित रिटर्न में ग्रेच्युटी फंड के भुगतान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(v) के तहत निर्धारिती द्वारा 4,91,27,253/- का दावा किया गया।

3. यह कि निर्धारिती को इस अपील को दाखिल करने पर या उससे पहले अपील के किसी भी आधार या आधार को जोड़ने, बदलने, संशोधित करने या हटाने की अनुमति की आवश्यकता है।

2. अपील के सभी आधार आपस में जुड़े हुए हैं और इसमें शामिल मुख्य मुद्दा रुपये के दावे को अस्वीकार करने के खिलाफ है। संशोधित रिटर्न में ग्रेच्युटी फंड के भुगतान के लिए आयकर अधिनियम , 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 36(1)(v) के तहत निर्धारिती द्वारा 4,91,27,253/- का दावा किया गया है।

3. मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि निर्धारिती का मामला जांच मूल्यांकन के लिए उठाया गया था और अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन दिनांक 01.03.2016 के आदेश के तहत तैयार किया गया था। मूल्यांकन तैयार करते समय, एओ ने पीएफ और ईएसआई के लिए कर्मचारियों के योगदान के भुगतान के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसे देर से जमा किया गया था और रुपये के समूह ग्रेच्युटी प्रीमियम योजना में योगदान के दावे को भी अस्वीकार कर दिया गया था। 4,91,27,253/-.

4. एओ के आदेश से व्यथित होकर, निर्धारिती ने एलडी के समक्ष अपील दायर की। सीआईटी (ए), जिन्होंने प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद, पीएफ और ईएसआई के लिए कर्मचारी योगदान की अस्वीकृति को हटा दिया। हालाँकि, उन्होंने ग्रेच्युटी फंड के भुगतान के संबंध में अस्वीकृति बरकरार रखी।[4,5,6]

आईटीए नंबर 1040 और 1050/जेपी/2016 जयपुर थार ग्रामीण बैंक किशन भवन। बनाम डीसीआईटी

5. अब निर्धारिती आईटीएटी के समक्ष वर्तमान अपील में है।

6. एलडी. निर्धारिती के वकील ने कहा कि मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान अनजाने में आय रिटर्न में दावा नहीं किया गया था। निर्धारिती ने दावा किया कि यह राशि स्वीकार्य है।

7. इसके विपरीत, एल.डी. डीआर ने एलडी के आदेश का समर्थन किया। इस मुद्दे पर सीआईटी (ए) ने प्रस्तुत किया कि माना जाता है कि निर्धारिती ने अपनी आय की रिटर्न में ऐसा कोई दावा नहीं किया है। दावा केवल संशोधित रिटर्न दाखिल करते समय ही किया जा सकता है।

8. हमने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है और नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेशों का भी अध्ययन किया है। एलडी. सीआईटी (ए) ने इस आधार पर दावा खारिज कर दिया था कि संशोधित रिटर्न 21.03.2015 से पहले दाखिल किया जाना चाहिए था। मौजूदा मामले में, निर्धारिती ने 24.2.2016 को संशोधित रिटर्न दाखिल करके मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान दावा किया। निर्विवाद रूप से धारा 139(5) के तहत रिटर्न दाखिल करने का समय पहले ही समाप्त हो चुका था। एलडी. निर्धारिती के वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तरह के दावे को आईटीए नंबर 120/जेपी/2015 में मूल्यांकन वर्ष 2011-12 से संबंधित निर्धारिती के स्वयं के मामले में अनुमति दी गई थी, जिसमें ट्रिब्यूनल ने निम्नानुसार माना था: -

शुरुआत में, हमें सूचित किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा उठाया गया मुद्दा अब निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारिती के स्वयं के आदेश में सुनाए गए ट्रिब्यूनल के आदेश द्वारा कवर किया गया है। यहां तक कि एल.डी. सीआईटी (ए) ने निर्धारण वर्ष 2007-08 और 08-09 के लिए निर्धारिती के स्वयं के मामले में आईटीएटी के निर्णय का पालन किया है। तैयार संदर्भ के लिए, एलडी की प्रासंगिक टिप्पणियाँ। सीआईटी(ए) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"3.4 मैंने अपीलकर्ता की दलीलों और एओ के तर्क पर विधिवत विचार किया है। मैंने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का भी अवलोकन किया है और मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ लागू कानूनी स्थिति पर भी विधिवत विचार किया है। निर्धारिती बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसे इसके तहत स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 के तहत । आईटीए नंबर 1040 और 1050/जेपी/2016 जयपुर थार ग्रामीण बैंक किशन भवन के तहत। बनाम डीसीआईटी प्रति सीबीडीटी परिपत्र के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी बैंक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, यह तथ्य पिछले वर्षों में निर्धारिती के मामले में विभाग द्वारा पहले ही

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 12, Issue 10, October 2023||

|DOI:10.15662/IJAREEIE.2022.1210010 |

स्वीकार कर लिया गया था। अपीलकर्ता ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए एलआईसी के सहयोग से एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट बनाया। [7,8,9]अपील के तहत वर्ष के दौरान अपीलकर्ता ने डेबिट किया और एलआईसी को 126656857/- रुपये की राशि का भुगतान किया। ग्रेच्युटी फंड के लिए भारत का। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन किया और ट्रस्ट डीड और अन्य आवश्यक कागजात के साथ आयकर विभाग को एक आवेदन दायर किया। ग्रेच्युटी फंड की मंजूरी के लिए 4/9/2000 को. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपील के तहत वर्ष के दौरान अपीलकर्ता ने रुपये की राशि जमा की।

ग्रेच्युटी फंड के लिए एलआईसी को 12,66,56,857/- रुपये देना होगा जो कि आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36(1)(v) के तहत कटौती योग्य है और यदि इस धारा में इसकी अनुमति नहीं है तो धारा 37 के तहत इसकी अनुमति है। (1) आयकर अधिनियम , 1961 के। समर्थन तर्क में अपीलकर्ता ने ऊपर पैरा 3.2 में उल्लिखित फैसलों पर भरोसा किया है जिसमें ट्रिब्यूनल, माननीय उच्च न्यायालय और यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि भुगतान कर्मचारियों के लाभ के लिए किया जाता है यह व्यावसायिक व्यय है और आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 37(1) के तहत स्वीकार्य है।

निर्धारण वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए निर्धारिती के स्वयं के मामले में क्रमशः आईटीए संख्या 940/जेपी/2011 और 196/जेपी/2012 में क्षेत्राधिकार आईटीएटी के निर्णय और निर्धारण वर्ष 10-11 के लिए सीआईटी (ए) -1 के आदेश के अवलोकन पर आईटीए संख्या 259/12-13, यह भी देखा गया है कि अधिनियम की धारा 40(ए)(9) के साथ पठित धारा 36(1)(v) के तहत ग्रेच्युटी के दावे की अनुमति दी गई है।[2,3,4]

मैंने एओ के आदेश और एआर की प्रस्तुतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। मामले का तथ्य यह है कि एक अस्वीकृत ग्रेच्युटी फंड के लिए ग्रेच्युटी के भुगतान की अस्वीकृति पर माननीय आईटीएटी ने निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारिती के मामले में अपने आदेश आईटीए संख्या 940/जेपी/2011 दिनांक के तहत विचार किया था। 31/10/2011 और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले का निर्णय उसके पक्ष में किया गया:

"..... एक बार जब निर्धारिती ने अनुमोदन के लिए आवेदन दायर कर दिया है तो ऐसी मंजूरी उस तारीख से संबंधित होगी जिस दिन अनुमोदन के लिए आवेदन दायर किया गया है। इसी तरह की परिस्थितियों में, यह पीठ राजस्थान राज्य के मामले में सहकारी संघ लिमिटेड ने आईटीए नंबर 702/जेपी/09 दिनांक 16/07/2010 में समूह ग्रेच्युटी योजना के भुगतान की स्वीकार्यता को रोक दिया है क्योंकि निर्धारिती ने पहले ही अनुमोदन के लिए आवेदन दायर कर दिया है। वैकल्पिक रूप से, निर्धारिती कटौती का हकदार है वास्तविक ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में। इसलिए, हम मानते हैं कि एलडी सीआईटी (ए) द्वारा 1.18 करोड़ रुपये की कटौती की अनुमति देना उचित था। हालांकि एलडी सीआईटी (ए) ने धारा 37 के तहत ऐसी कटौती की अनुमति दी है, फिर भी हम मानते हैं कि कटौती उचित है धारा 40ए(9) के साथ पठित धारा 36(1)(v) के तहत स्वीकार्य । मामले में, समूह ग्रेच्युटी योजना की मंजूरी आईटीए नंबर 1040 और 1050/जेपी/2016 जयपुर थार ग्रामीण बैंक किशन भवन नहीं है। बनाम डीसीआईटी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया है तो राजस्व कानून के अनुसार उपचारात्मक उपाय करने का हकदार होगा..."

9. यह निर्धारण अधिकारी का मामला है कि अस्वीकृत ग्रेच्युटी फंड को किया गया भुगतान अधिनियम की धारा 36(1)(v) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य व्यय नहीं है। निर्धारिती ने रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी है जिससे यह पता चले कि ग्रेच्युटी फंड स्वीकृत है। हालाँकि, तथ्यों की समग्रता पर विचार करते हुए, इस मुद्दे को निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन अधिकारी की फाइल में बहाल कर दिया जाता है, यह सत्यापित करने के बाद कि फंड को मंजूरी दी गई है या नहीं और निर्धारिती के अपने मामले में ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में मुद्दे का निर्णय करें। निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित।[5,6,7]

10. अब, हम आईटीए संख्या 1050/जेपी/2016 में राजस्व की अपील पर विचार करते हैं। राजस्व ने अपील के निम्नलिखित आधार उठाए हैं:-

"1. (ए) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों और कानून के आधार पर एलडी सीआईटी (ए) ने कर्मचारियों के योगदान को जमा करने के लिए एओ द्वारा किए गए 3735130/- रुपये को हटाने में गलती की है संबंधित अधिनियमों में प्रदान की गई निर्धारित समय सीमा से परे पीएफ और ईएसआई।

(बी) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानून के आधार पर माननीय आईटीएटी का यह मानना उचित था कि पीएफ और ईएसआई में कर्मचारी का योगदान धारा 43बी के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, न कि धारा 36(1) 9 वीए द्वारा) आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 2(24)(x)। "

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 12, Issue 10, October 2023||

|DOI:10.15662/IJAREEIE.2022.1210010 |

11. अपील में उठाया गया एकमात्र प्रभावी मुद्दा रुपये के दावे को अस्वीकार करने के खिलाफ है। संबंधित अधिनियमों में प्रदान की गई निर्धारित समय सीमा से परे पीएफ और ईएसआई में कर्मचारियों के योगदान को जमा करने के भुगतान के लिए अधिनियम की धारा 36(1)(v) के तहत राजस्व द्वारा 3735130/- का दावा किया गया।

12. इसके विपरीत, एल.डी. डीआर ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया।

आईटीए नंबर 1040 और 1050/जेपी/2016 जयपुर थार ग्रामीण बैंक किशन भवन। बनाम डीसीआईटी

13. आरंभ में, एल.डी. निर्धारिती के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा निर्धारिती के पक्ष में पूरी तरह से कवर किया गया है और मूल्यांकन अधिकारी ने न्यायिक उच्च न्यायालय के बंधन की अवहेलना करते हुए निर्धारिती के दावे को अस्वीकार कर दिया है। .

14. हमने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलें सुनी हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है और नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेशों का अध्ययन किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह कहते हुए दावे को खारिज कर दिया:

"पीएफ और ईएसआई के खाते पर अस्वीकृति पीएफ और ईएसआई के विवरण के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि निर्धारिती ने धारा 36(1) के तहत अनुमति के अनुसार निर्धारित समय से परे पीएफ और ईएसआई के लिए कर्मचारियों के योगदान की निम्नलिखित राशि जमा की है। (वीए) आईटीएक्ट, 1961 के आरडब्ल्यूएस 2(24)(एक्स)।[8,9]

विचार-विमर्श

निर्धारिती के एआर को इसकी स्वीकार्यता को उचित ठहराने के लिए कहा गया था। जवाब में निर्धारिती के एआर ने बताया कि:

"चूंकि पीई और ईएसआई का भुगतान रिटर्न भरने की नियत तारीख से पहले किया गया है, इसलिए इसे सीआईटी बनाम अलोम एक्सट्रूज़न लिमिटेड (2009 की सिविल अपील संख्या 7771) और सीआईटी के फैसले के मद्देनजर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

बनाम

(ए) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर

(बी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2014) 363 आईटीआर 70 (राज.)।"

निर्धारिती का तर्क स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि "नियोक्ता के योगदान" और कर्मचारी के योगदान "के बीच अंतर करना आवश्यक है, जो आईटीए नंबर 1040 और 1050/जेपी/2016 जयपुर थार ग्रामीण बैंक किशन भवन के अलग-अलग प्रावधानों के तहत कटौती योग्य है। बनाम आयकर अधिनियम, 1961 की क्रमशः डीसीआईटी धारा 43बी और 36(1)(वीए)। "कर्मचारी का योगदान" प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा 2(24)(x) के तहत आय के रूप में माना जाएगा । संबंधित अधिनियम के तहत अनुमत समय के भीतर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करने पर निर्धारिती और उसे धारा 36(1)(वीए) के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले में विभागीय अपील को खारिज करते हुए आयकर आयुक्त बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और आयकर आयुक्त बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड {2014} 99 डीटीआर 131 (राज.) (एचसी) ने सही ढंग से सराहना नहीं की है कि धारा 43 बी के प्रावधान नहीं हैं पीएफ में "कर्मचारी के योगदान" के संबंध में प्रासंगिक, इसे विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। सीआईटी बनाम गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 26.12.2013 के हालिया फैसले पर सीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में भरोसा किया है कि यह इस मुद्दे पर सीधे विभाग के पक्ष में है। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में कहा है कि "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(va) को उप-खंड (x) के साथ पढ़ने पर विचार करते हुए) धारा 2 के खंड 24 के , यह माना जाता है कि निर्धारिती द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी से प्राप्त राशि के संबंध में, जिस पर धारा (2) के खंड (24) के उप-खंड (एक्स) के प्रावधान लागू होते हैं, निर्धारिती धारा 36(1) के स्पष्टीकरण में उल्लिखित "नियत तिथि" पर या उससे पहले संबंधित फंड या फंड में कर्मचारी के खाते में निर्धारिती द्वारा जमा की गई ऐसी राशि के संबंध में धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना करने में कटौती का हकदार होगा । (वीए) "।

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 12, Issue 10, October 2023||

|DOI:10.15662/IJAREEIE.2022.1210010 |

उक्त निर्णय देते समय माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में कई उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए विचारों से असहमति जताई है और पैरा 7.12 में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"हमारी राय है कि वर्तमान मामले में, और जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, केवल राजस्व की ओर से प्रचारित किया जाना संभव है और जैसा कि ऊपर अनुभाग के तहत देखा गया है और हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय; कर्नाटक उच्च न्यायालय; राजस्थान उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में ऊपर उल्लिखित मामलों में, और इसलिए, ऊपर उल्लिखित विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का पालन करने के लिए निर्धारिती की ओर से प्रस्तुत किया गया और/या विपरीत दृष्टिकोण अपनाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता"।

माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के आधार पर, आयकर विभाग ने आयकर आयुक्त बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और आयकर आयुक्त के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध किया है। बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ।

{2014} 99 डीटीआर 131(राज.)(एचसी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से। चूंकि मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन है, इसलिए विभाग का रुख वही है।[9]

आईटीए नंबर 1040 और 1050/जेपी/2016 जयपुर थार ग्रामीण बैंक किशन भवन। बनाम डीसीआईटी इसलिए, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रुपये का विलंबित भुगतान। पीएफ के लिए कर्मचारी योगदान के कारण प्राप्त 37,35,130/- को स्वीकार्य व्यय नहीं पाया गया है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है और करदाता की आय में वापस जोड़ा गया है।"

15. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी ने दावे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि विभाग ने आयकर आयुक्त बनाम स्टेट बैंक के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है। बीकानेर और जयपुर के और आयकर आयुक्त बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मामले में भी । [2014] 99 डीटीआर 131 (राज.)। हालाँकि, एल.डी. माननीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद अपील में सीआईटी (ए) ने निर्धारिती के दावे को स्वीकार कर लिया और अस्वीकृति को हटा दिया। हमें एलडी के आदेश में कोई खामी नजर नहीं आती. सीआईटी(ए)। इसलिए, हम उसी का समर्थन करते हैं। माननीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार नहीं किया है।

16. इन तथ्यों के तहत, निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई बाध्यकारी मिसाल के विपरीत है, जिसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए अपील में राजस्व में उठाया गया यह आधार खारिज किया जाता है।

17. परिणामस्वरूप, निर्धारिती की अपील को सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जाती है जबकि राजस्व की अपील खारिज कर दी जाती है।

दिनांक 25/05/2017 को खुली अदालत में आदेश सुनाया गया।

1. अपीलकर्ता- जयपुर थार ग्रामीण बैंक किशन भवन, जयपुर

2. प्रतिवादी - डीसीआईटी, जयपुर

3. सीआईटी (ए)।

4. सीआईटी,

5. डीआर, आईटीएटी, जयपुर

6. गार्ड फाइल (आईटीए नं. 1040 एवं 1050/जेपी/2016) vkns'kkuqlkj@ आदेश एलजीके;डी आईएथडीकेजे@ असिस्टेंट द्वारा। रजिस्ट्रार[7,8,9]

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 12, Issue 10, October 2023||

|DOI:10.15662/IJAREEIE.2022.1210010 |

परिणाम

आरआरबी अधिनियम, 1976 की धारा 23ए के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ.नं.1/26/2005-आरआरबी दिनांक 27.01.2006 के संदर्भ में, जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक और थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, दोनों यूको बैंक द्वारा प्रायोजित हैं। और राजस्थान राज्य में परिचालन करते हुए, एक नया बैंक बनाने के लिए समामेलित किया गया है, जिसका नाम जयपुर थार ग्रामीण बैंक है।

जयपुर थार ग्रामीण बैंक ने 01 मई, 2011 से 213 शाखाओं और 3 एक्सटेंशन काउंटर के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रावधान के तहत पेंशन के वितरण के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ समझौता किया है ।
वर्तमान में बैंक की लगभग 46 शाखाएँ CBS से जुड़ी हैं; इसने सितंबर, 2011 तक सभी शाखाओं में सीबीएस लागू करने की योजना बनाई है। यह गृह ऋण , कृषि ऋण, व्यक्तिगत ऋण , शिक्षा ऋण, उपभोक्ता ऋण आदि प्रदान करता है।
उद्देश्य - एसएचजी को उनकी वृद्धि के लिए ऋण की पेशकश की जाती है
पात्रता - एक समूह में न्यूनतम 10 सदस्यों वाला स्वयं सहायता समूह ऋण के लिए पात्र है
ऋण राशि - बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि बचत का 10 गुना है
ब्याज दर - ऋण के लिए ब्याज दर 10% है
पुनर्भुगतान - 3-5 वर्षऋण के लिए ब्याज दर है[8,9]

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर एक व्यावसायिक रूप से सुव्यवस्थित सरकारी क्षेत्र का बैंक है। जिसका शुभारम्भ वर्ष १९६३ में स्टेट बैंक ऑफ़ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर के विलयीकरण से भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक के रूप में हुआ।[2]

वर्तमान में बैंक की देशभर में ८६४ से अधिक शाखायें हैं। इसका व्यापार केन्द्र मुख्यतः राजस्थान है।

निष्कर्ष

राजस्थान सहकारी बैंक ने विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जारी इस वैकन्सी नोटिफिकेशन के अनुसार सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट के 635 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, Rajasthan Cooperative Bank Recruitment 2022 से संबंधित अन्य विवरण नीचे दिया गया है।

जो उम्मीदवार Rajasthan Cooperative Bank Recruitment 2022 के लिए आवेदन के योग्य है वे राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन जरूर करें, लेकिन आवेदन से पूर्व Rajasthan Cooperative Bank Vacancy 2022 योग्यता, आयु सीमा, आवेदन फीस, चयन प्रक्रिया व अन्य विवरण ऑफिसियल नोटिफिकेशन [9]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. . Jaipur Municipal Corporation http://jaipurmc.org/Presentation/AboutMcjaipur/CityProfile.aspx. अभिगमन तिथि 14 July 2022.
2. ↑ http://www.census2011.co.in/city.php
3. ↑ उर्मान, डैविश. "जयपुर यात्रा और यात्रा". आर्टिकल स्नैच. पपृ॰ ०१०३.[
4. ↑ सिंह, रणधीर. "परकोटे के पर कटे". भास्कर.कॉम. पपृ॰ ०१०३. मूल से 15 जुलाई 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 जुलाई 2009.
5. ↑ उर्मान, डैविश. "जयपुर पर १०० वाक्य". इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद. पपृ॰ ०१०३.[
6. ↑ "Jaipur Climatological Table Period: 1971–2000". India Meteorological Department. मूल से 2 एप्रिल 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 मार्च 2015.
7. ↑ "Ever recorded Maximum and minimum temperatures up to 2010" (PDF). भारतीय मौसम विज्ञान विभाग. मूल (PDF) से 21 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि March 25, 2014.
8. State Bank of Bikaner and Jaipur 2009 profit up at Rs 403.45 crore[
9. ↑ "इतिहास : स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर". governmentjobonline.in. Rajan Verma. 30 मार्च 2021. अभिगमन तिथि 30 मार्च 2021.

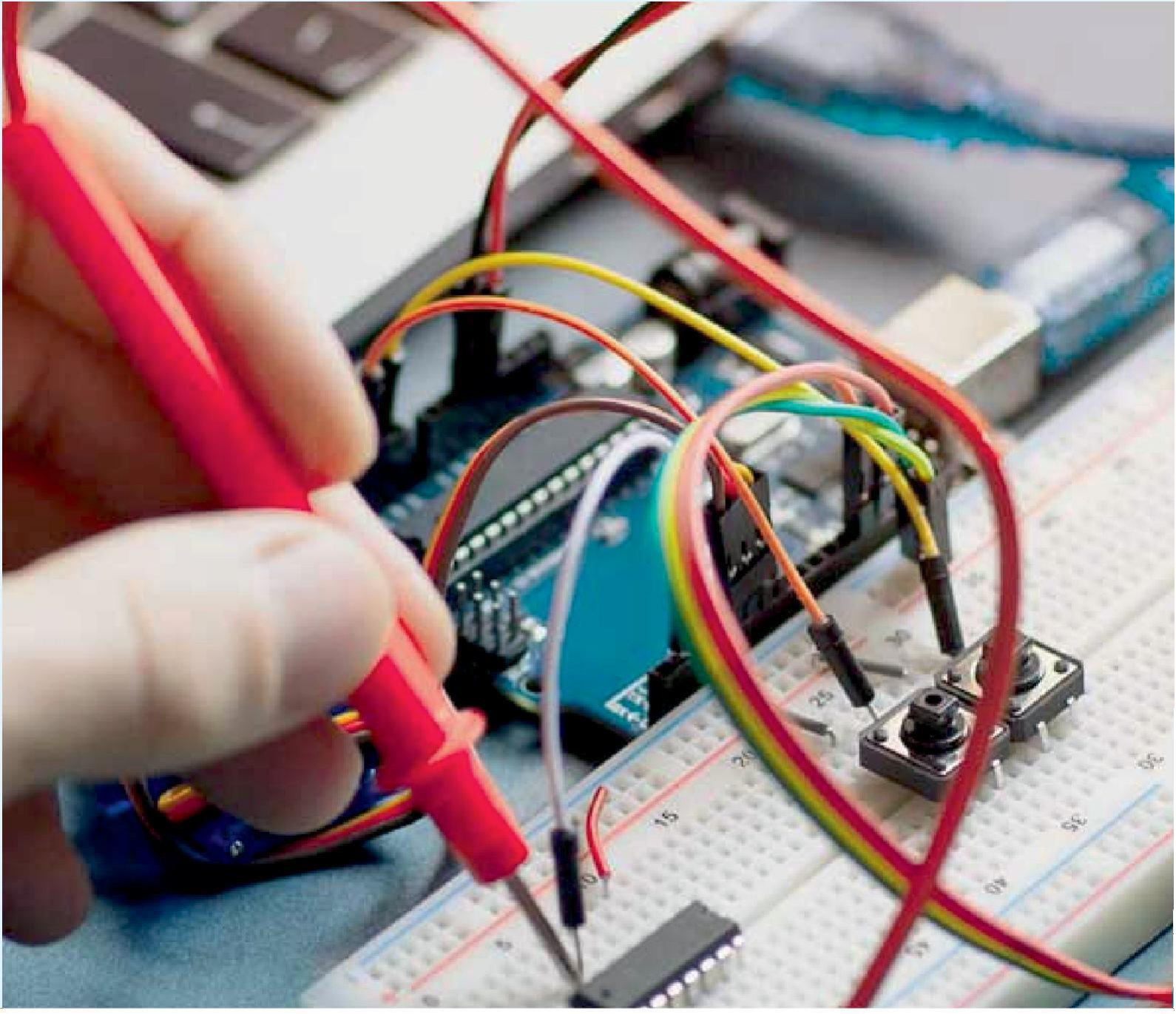

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor: 8.317

International Journal of Advanced Research

in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering

9940 572 462 6381 907 438 ijareeie@gmail.com

Scan to save the contact details